



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 30 जून, 2020

आषाढ़ 9, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या 07/2020-531/80-1-2020-600(22)-2002-टी०सी०-II

लखनऊ, 30 जून, 2020

अधिसूचना

प०आ०-136

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (चौबीसवाँ संशोधन)
नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (चौबीसवाँ संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2020 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 137 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- नियम 137 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

137-नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी [धारा 17-A(1)(a)]

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

137-नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर मण्डी शुल्क से छूट [धारा 17-क(1)(क)]

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(1) ऐसी नई प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों और संलग्नकों तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति के पक्ष में रु0 20,000 के बैंक ड्राफ्ट के साथ मण्डलायुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन-पत्र को सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को आख्या हेतु अग्रसारित कर देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण करने एवं धारा 17-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत संयंत्र एवं मशीनरी का भौतिक सत्यापन कराकर अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि संयंत्र एवं मशीनरी की लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक है, जिलाधिकारी द्वारा अपनी आख्या पन्द्रह दिन के अन्दर मण्डलायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

(3) जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या का परीक्षण निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा :-

(1) मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
(2) जिलाधिकारी	सदस्य
(3) निदेशक, राज्य कृषि	सदस्य
उत्पादन मण्डी परिषद	सचिव
अथवा उनके द्वारा	
नामित अधिकारी	
(4) अपर/संयुक्त निदेशक,	सदस्य
उद्योग विभाग	
(5) सम्बन्धित सचिव,	सदस्य
मण्डी समिति	

(4) उक्त समिति तीस दिन के भीतर उपनियम (2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या एवं इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करेगी और मण्डी शुल्क (विकास सेस को छोड़कर) से छूट प्रदान करने या उसकी दर में कमी करने की संस्तुति करेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी अथवा प्रार्थना-पत्र को लिखित रूप में सकारण अस्वीकृत करेगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) ऐसी नव स्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथाविनिर्दिष्ट समस्त सुसंगत दस्तावेजों और संलग्नकों तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव के पक्ष में रु0 20,000 के बैंक ड्राफ्ट के साथ संबंधित मण्डलायुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन-पत्र को सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट हेतु अग्रसारित कर देगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने और धारा 17-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन संयंत्र एवं मशीनरी का भौतिक सत्यापन करने और अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि संयंत्र एवं मशीनरी की लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक है, अपनी रिपोर्ट पन्द्रह दिन के भीतर मण्डलायुक्त को प्रेषित करेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा :-

(1) मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
(2) जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
(3) निदेशक, राज्य कृषि	सदस्य
उत्पादन मण्डी परिषद	सचिव
अथवा उसके द्वारा नाम	
निर्दिष्ट अधिकारी	
(4) अपर/संयुक्त निदेशक,	सदस्य
उद्योग विभाग	
(5) सम्बन्धित सचिव,	सदस्य
मण्डी समिति	

(4) उक्त समिति तीस दिन के भीतर उपनियम (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट और इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करेगी और अनधिक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मण्डी शुल्क (उपकर को छोड़कर) से छूट प्राप्त करने के लिये संस्तुति करेगी अथवा आवेदन-पत्र को लिखित रूप में कारण सहित अस्वीकृत कर देगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(5) उपनियम (4) के अधीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् मण्डलायुक्त द्वारा जिन फर्मों को मण्डी शुल्क में छूट अथवा दर में कमी की जानी है (विकास सेस को छोड़कर), के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव के प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार अन्तिम निर्णय लेगी और उसे ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ गजट में अधिसूचित करेगी जैसा वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण :-धारा 17(क) और इस नियम के प्रयोजन के लिए नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाई का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2013) के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को या उसके पश्चात् स्थापित इकाई से है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(5) उपनियम (4) के अधीन समिति द्वारा किये गये विनिश्चय के पश्चात् मण्डलायुक्त मण्डी शुल्क (उपकर को छोड़कर) से छूट हेतु अपनी संस्तुतियों सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। उक्त प्रस्ताव के प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार अन्तिम विनिश्चय करेगी और उसे ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों, जैसा कि वह उचित समझे, के साथ गजट में अधिसूचित करेगी।

स्पष्टीकरण :-धारा 17-क और इस नियम के प्रयोजनों के लिए नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाई का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2013) के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को या उसके पश्चात् स्थापित इकाई से है।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 07/2020-531/LXXX-1-2020-600(22)-2002T.C.-II, dated June 30, 2020 :

No. 07/2020-531/LXXX-1-2020-600(22)-2002T.C.-II

Dated Lucknow, June 30, 2020

In exercise of the powers conferred by section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

**THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (CHAUBESWAN
SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2020**

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Chaubeeswan Sanshodhan) Niyamawali, 2020. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 for rule 137 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :- Amendment of rule 137

COLUMN-I

Existing rule

137. Exemption or reduction of Mandi Fee on the establishment of new Agro Processing Units [section 17-A(1) (a)]

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

137. Exemption of Mandi Fee on the establishment of new Agro Processing Units [section 17-A(1) (a)]

COLUMN-I*Existing rule*

(1) A newly established Agro Processing Unit having the cost of plant and machinery five crore or more may make an application for exemption or reduction of Mandi Fee in prescribed Form XVI to the concerning Divisional Commissioner along with all relevant documents as specified in the form and annexures and Bank Draft of Rs. 20,000.00 towards processing fee in favour of the Secretary of the concerned Mandi Samiti on receipt of the application, the Divisional Commissioner shall forward it within seven days to the concerned District Magistrate for report.

(2) The District Magistrate shall send his report to Divisional Commissioner within fifteen days after examining the documents produced under sub-rule (1) and making physical verification of the plant and machinery and satisfy himself that the cost of the plant and machinery is Rs. five crores or more under clause (a) of sub-section (1) of section 17-A.

(3) The report received from the District Magistrate shall be examined by the Committee constituted as follows :-

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| I. Divisional Commissioner | Chairman |
| II. District Magistrate | Member |
| III. Director, Rajya Krishi | Member |
| Utpadan Mandi Parishad | Secretary |
| or an officer nominated | |
| by him | |
| IV. Additional/Joint | Member |
| Director of the Industries | |
| Department | |
| V. Concerned Secretary | Member |
| of marketing committee | |

(4) The said Committee shall examine the report send by the District Magistrate under sub-rule (2) and documents submitted by the unit and shall recommend to exempt or reduce the rate of Mandi Fee (excluding Cess) for a period not exceeding five years or reject the application form with the reasons in writing for such rejection within thirty days.

COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

(1) A newly established Agro Processing Unit having the cost of plant and machinery five crore or more may make an application for exemption of Mandi Fee in prescribed Form XVI to the concerning Divisional Commissioner along with all relevant documents as specified in the form and annexures and Bank Draft of Rs. 20,000.00 towards processing fee in favour of the Secretary of the concerned Mandi Samiti on receipt of the application, the Divisional Commissioner shall forward it within seven days to the concerned District Magistrate for report.

(2) The District Magistrate shall send his report to Divisional Commissioner within fifteen days after examining the documents produced under sub-rule (1) and making physical verification of the plant and machinery and satisfy himself that the cost of the plant and machinery is Rs. five crores or more under clause (a) of sub-section (1) of section 17-A

(3) The report received from the District Magistrate shall be examined by the Committee constituted as follows:-

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| I. Divisional Commissioner | Chairman |
| II. District Magistrate | Member |
| III. Director, Rajya Krishi | Member |
| Utpadan Mandi Parishad | Secretary |
| or an officer nominated | |
| by him | |
| IV. Additional/Joint | Member |
| Director of the Industries | |
| Department | |
| V. Concerned Secretary | Member |
| of marketing committee | |

(4) The said Committee shall examine the report send by the District Magistrate under sub-rule (2) and documents submitted by the unit and shall recommend to exempt of Mandi Fee (excluding Cess) for a period not exceeding five years or reject the application form with the reasons in writing for such rejection within thirty days.

COLUMN-I*Existing rule*

(5) After the decision taken by the Committee under sub-rule (4) the Divisional Commissioner shall send the proposal to the State Government with his recommendations for the exemption or reduction in the rate of Mandi Fee (excluding Cess). On receipt of the said proposal the State Government shall take the final decision and notify the same in the *Gazette* with the conditions and restrictions as it may think fit.

Explanation:- For the purposes of section 17-A and this rule, the newly establish agro processing unit means the unit established on or after the date of publication of notification dated December 20, 2013 the date of publication of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Vidhi (Sanshodhan) Adhinyam, 2013 (U.P. Act no. 27 of 2013) in the *Gazette*.

COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

(5) After the decision taken by the Committee under sub-rule (4) the Divisional Commissioner shall send the proposal to the State Government with his recommendations for the exemption of Mandi Fee (excluding Cess). On receipt of the said proposal the State Government shall take the final decision and notify the same in the *Gazette* with the conditions and restrictions as it may think fit.

Explanation:- For the purposes of section 17-A and this rule, the newly establish agro processing unit means the unit established on or after the date of publication of notification dated December 20, 2013 the date of publication of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Vidhi (Sanshodhan) Adhinyam, 2013 (U.P. Act no. 27 of 2013) in the *Gazette*.

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Apar Mukhya Sachiv.